तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-7-25	**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर** राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 69/2024 (2024/180) जालाराम वगैरा बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण जालाराम, बाबूलाल, श्रीराम पुत्रान् जोधाराम जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम राजपुरिया तहसील लूणी जिला जोधपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम मंगलनगर पटवार हल्का गुड़ा विश्नोईयान, के मूल खसरा नम्बर 351 स्थित थी ततः पश्चात उक्त भूमि के खातेदारान द्वारा उक्त भूमि का विभाजन कर लिया गया जिसमें खसरा नम्बर 351/3 रकबा 5.01841 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में रखी गई तथा राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 351/3 तरमीम कर दिया गया जिस पर प्रार्थीगण का आज दिन शांति पूर्वक मालिक काबिज है तथा काश्त करते है। पटवारी द्वारा राजस्व नक्शे में ऑन लाईन इन्द्राज करते समय गलत तरमीम कर दी गई जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त से भिन्न तरमीम की गई है। वर्तमान में ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त किया जावे तथा उक्त खसरा की तरमीम मौके अनुसार किया जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2024/3595 दिनांक 25.11.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार लूणी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मंगल नगर के खसरा नम्बर 351/3 की तरमीम लटठा नक्शा में दर्ज नहीं है ऑनलाईन करते समय त्रुटिवश गलत दर्ज होना बताया खसरा नम्बर 351/3, 351/2, 351/6, 351/7, 351/8 व 351/9 के खातेदारो ने मौका अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु सहमती दी। उक्त खसरान की तरमीम शुद्वि किया जाना उचित बताया। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट दिनांक 25.11.2024 के अधार पर खसरा नम्बर 351/3 ग्राम मंगल नगर तहसील लूणी की गलत ऑनलाईन तरमीम को तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2024/3595 दिनांक 25.11.2024 के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 20.09.2024 अनुसार सही करने के आदेश दिये जाते है। उक्त रिपोर्ट इस आदेश का अंग शुमार हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी	